(155)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः—प.3(43)नविवि / 3 / 09 जयपुर, दिनांकः 27 JUL 2010

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.02.09 एवं 17.08.09 की निरन्तरता में निम्न स्पष्टीकरण जारी किया जाता है—

विभागीय परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या 12 की अर्हता में सड़क से लगती हुई भूमि के संबंध में यदि उक्त क्षेत्र में सेक्टर प्लान प्रस्तावित नहीं है, तो केवल आवेदित खातेदारों की भूमि में से वांछित सड़क की चौड़ाई को निश्चित करते हुए सड़क हेतु वांछित भूमि को समर्पित कराकर साईट प्लान जारी किया जावे। इस प्रकार निर्धारित सड़क का नियोजन भविष्य में तैयार किये जाने वाले सैक्टर प्लान में किया जावे।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य मार्ग से आवेदित भूमि (40, 60 एवं 80 फीट की) सड़क हेतु अन्य खातेदारों से रास्ते की भूमि उपलब्ध कराने की आवेदक की बाध्यता नही है। अन्य खातेदारों की भूमि सेक्टर रोड़ की क्रियान्विति के समय अथवा उनके द्वारा 90बी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिग्रहण / समर्पित कराई जा सकती है।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करावें।
9. समस्त जिला कलक्टर।
10. निजी सहायक, शासन उप सचिव, प्रथम / द्वितीय / समस्त अनु भाग, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
12. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(निष्काम दिवाकर)
शासन उप सचिव—द्वितीय